न्यायालयः– अंचल अधिकारी, काँके (राँची)।

नोटिस

विविध वाद संख्या– 27/2021–22

1. श्री प्रकाश कुमार टोप्पो
   पिता– श्री सोमर उराँव
   ग्राम– सोसो, थाना– पिठोरिया
   जिला– राँची। ....प्रथम पक्ष।

बनाम्

2. श्री अजीत जायसवाल वगैरह,
   पिता– शंकर साव
   पता– सोदागर मोहल्ला, रामगढ़
3. श्री गौरव कुमार भगत वगैरह
   पिता– दमड़ी भगत
   पता– काँके रोड राँची
4. श्री रविन्द्र कुमार जायसवाल वगैरह
   पिता– रामकुमार भगत
   पता– लालपुर बाजार, राँची
5. श्री गोड़वा उराँव
   पिता– जतरू उराँव
   ग्राम– सोसो, थाना– पिठोरिया
   जिला– राँची। ....द्वितीय पक्ष।

बजरिये इस नोटिस के आपको सूचित किया जाता है कि प्रथम पक्ष श्री प्रकाश कुमार टोप्पो के द्वारा अंचल कार्यालय काँके में आवेदन समर्पित किया जाता है। प्रथम पक्ष के आवेदनानुसार मौजा– सोसो, खाता सं0– 24, प्लॉट सं0– 25, 137, 143, 197 198 एवं 396, कुल रकबा– 3.01 एकड़ भूमि प्रथम पक्ष की पैतृक संपत्ति है जो खतियान में नन्दा उराँव वो चैता उराँव पे0 चमरा उराँव के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि का वर्त्तमान में द्वितीय पक्ष के नाम से ऑनलाईन में दर्ज है एवं लगान रसीद भी निर्गत हो रहा है। जिसपर प्रथम पक्ष के द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया है एवं द्वितीय पक्ष के नाम से चल रही जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया है।

अतः उक्त के आलोक में आपको निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 22/03/22 को प्रश्नगत भूमि के दावा से संबंधित मूल कागजात/दस्तावेज के साथ स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

प्रकाश कुमार टोप्पो
09/03/2022

Deepak Oraon
23/3/2022

कार्यालय अंचल अधिकारी काँके, (राँची)

अंचल अधिकारी,
काँके, राँची।
7/3/22

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक.. ता0.. से ....तक

जिला —राँची।

केस का प्रकार —विविध वाद संख्या—27/2021—22

श्री प्रकाश कुमार टोप्पो .... **प्रथम पक्ष।**

बनाम्

श्री गोड़वा उराँव वगैरह .... **द्वितीय पक्ष।**

आदेश एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
07.03.22	श्री प्रकाश कुमार टोप्पो पिता— श्री सोमर उराँव, ग्राम— सोसो, थाना— पिठोरिया, जिला— राँची के द्वारा अंचल कार्यालय काँके में आवेदन समर्पित किया जाता है। उनके आवेदनानुसार मौजा— सोसो, खाता सं0— 24, प्लॉट सं0— 25, 137, 143, 197 198 एवं 396, कुल रकबा— 3.01 एकड़ भूमि प्रथम पक्ष की पैतृक संपति है जो खतियान में नन्दा उराँव वो चैता उराँव पे0 चमरा उराँव के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि का र्कमान में द्वितीय पक्ष के नाम से ऑनलाईन में दर्ज है एवं लगान रसीद भी निर्गत हो रहा है। जिसपर प्रथम पक्ष के द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया है एवं द्वितीय पक्ष के नाम से चल रही जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया है। उक्त के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। 07/03/22 अंचल अधिकारी, काँके, राँची।
11/02/23	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा— सोसो, खाता सं0— 24, प्लॉट सं0— 25, 137, 143, 197 198 एवं 396, कुल रकबा— 3.01 एकड़ भूमि के कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मामला दखल कब्जा से संबंधित है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित मामला दखल कब्जा से संबंधित है। इस संबंध में आवेदक व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 11/02/23 अंचल अधिकारी, काँके, राँची। 11/02/23 अंचल अधिकारी, काँके, राँची।

Digitally signed by DIWAKARPRASAD CHANDRIKAPRASAD DWIVEDI
Date: 2023.06.10 14:21:28 +05:30
Location: 192.168.29.226

CamScanner